वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

आय-कर

का.आ. 1287(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (22ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2009-2010 से 2011-2012 के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अनन्य रूप से समाचार के संग्रहण एवं वितरण के लिए भारत में स्थापित समाचार एजेंसी के रूप में "यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली" को विनिर्दिष्ट करती है ।

2. अधिसूचना इस शर्त के अधीन है कि समाचार एजेंसी अनन्य रूप से समाचार के संग्रहण एवं वितरण के लिए अपनी आय का प्रयोग करती है या इसके लिए संचित करती है तथा अपनी आय को किसी भी ढंग से अपने सदस्यों में वितरित नहीं करती है ।

[अधिसूचना सं. 44/2009/फा. सं. 165/02/2008-आई टी ए-I]

पदम सिंह, अवर सचिव